न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 12/2018

सुभाषचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी सांवतसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. रघुवीरसिंह | पिसरान चन्दुराम जाति जाट निवासी सांतवतसर तहसील पदमपुर
2. कृष्णलाल | जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. रा.का.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर दिनांक 27.07.2007

उपस्थित–

श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

श्री जीतपालसिंह सैनी अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण रघुवीरसिंह, कृष्णलाल एवं सुभाषचन्द्र ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष राज. उपनिवेशन गंगनहर क्षेत्र में भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय नियम 1956 के तहत पेश कर चक 3 ईई के ख.नं. 65/1 के मु.नं. 18 के कि.नं. 21 से 25 में 10 बीघा भूमि बतौर स्माल पेच में आवंटन करने का निवेदन किया। अधी. न्यायालय ने दिनांक 27.07.2007 को उक्त भूमि रेस्पों. सं. 1 व 2 को आवंटित कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

28/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट एवं रेस्पों. ने आवेदन किया था किन्तु रेस्पों. सं. 1 व 2 को भूमि आवंटन कर दी जबकि तीनों को ही भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। देरी बाबत कोई समुचित कारण अंकित नहीं किये हैं। मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज योग्य है। इसके अलावा कथन किया कि अपीलांट प्रा.पत्र पेश करने के पश्चात अधी. न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में रेस्पों. सं. 1 व 2 को विवादित भूमि का आवंटन कर दिया जो उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पों. तीनों के नाम से आवंटित की जाती है तो उसे कोई एतराज नहीं है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 27.07.2007 के विरूद्ध दिनांक 25.01.2018 को पेश की जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डल रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

28/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय ने विवादित भूमि के आवंटन हेतु अपीलार्थी व रेस्पों. 1 व 2 के द्वारा आवंटन करने हेतु प्रा.पत्र पेश किया जिसकी जांच तहसीलदार पदमपुर द्वारा की जाकर जमाबन्दी के संयुक्त खाता के अनुसार रघुवीरसिंह , कृष्णलाल व सुभाषचन्द्र को स्मालपेच में भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में संयुक्त रूप से किये गये आवेदन में से रघुवीरसिंह व कृष्णलाल को स्मालपेच में भूमि आवंटन की गई जबकि तीसरे आवेदक सुभाषचन्द्र के बारे में न तो विवेचित किया और न ही उसके क्लेम को खारिज किया है जो विधिसम्मत नहीं है। निर्णय में मु.नं. 18 के कृष्णलाल एवं रघुवीरसिंह को भूमि आवंटन की है परन्तु इसी मुरब्बा के सहखातेदार सुभाषचन्द्र को भूमि आवंटित नहीं करना विधि विरूद्ध है। दौराने बहस रेस्पों. कृष्णलाल के अधिवक्ता श्री जीतपालसिंह सैनी ने जाहिर किया कि अपीलांट को भी उपलब्ध स्मालपेच में हिस्सा दिया जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं है। चुंकि कुल स्मालपेच के उपलब्ध भूमि 10 बिस्वा है जिसके लिए एक आवेदन पत्र तीन संयुक्त खातेदारों ने पेश किया था जिसके टुकडे किये जाकर आवंटन उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2007 के द्वारा जो भूमि रेस्पों. सं. 1 व 2 को आवंटित की गई थी उसमें अपीलांट का नाम जोडा जाकर तीनों को ब.हि.ब. आवंटन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर